

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम,  
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद,  
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक :-

विषय :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) अंतर्गत ठोस कचरे के संग्रहण (Door to Door Collection) एवं परिवहन (Transportation) कार्यों से संबंधित मार्गदर्शिका का प्रेषण।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में आपको विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश दिये गए हैं। समय-समय पर VC द्वारा कार्यों के प्रगति की समीक्षा विभाग स्तर से एवं मुख्य सचिव के स्तर से की जा रही है।

उक्त के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत ठोस कचरे के पृथक्कीकरण, संग्रहण एवं परिवहन कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कृपया मार्गदर्शिका में दिए गए निदेशों के अनुरूप कचरे के निस्तारण हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्य करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार।

ज्ञापांक :-03/SBM-01-13/2016


1352

दिनांक :- 28/5/19

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/5/2019

प्रधान सचिव।



बिहार सरकार

ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन

**(Door to Door Collection &  
Transportation)**

हेतु नगर निकायों के लिए

मार्गदर्शिका

---

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार

---

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत Door-to-Door Collection एवं Transportation**  
**के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका**

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-2016 का क्रियान्वयन सभी नगर निकाय में करना है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली के O.A No.606/2018 का अनुश्रवण दिनांक-15.03.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को त्वरित क्रियान्वयन के लिए निदेश प्राप्त है। बिहार के सभी नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका प्रस्तुत की जा रही है।

नगर निकाय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन के लिए निम्नलिखित कार्यों को सुचारु रूप से संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे :-

1. स्रोत पर कचरे का पृथक्कीकरण (Segregation at Source)
  2. घर-घर से पृथक्कीकृत कचरा का संग्रहण एवं परिवहन (Door to Door Collection & Transportation)
1. **स्रोत पर कचरे का पृथक्कीकरण (Segregation at Source)**
    - 1.1 घर-घर से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण हेतु सभी नगर निकायों को प्रत्येक घर में एक-एक नीला एवं हरा डस्टबीन देना होगा, जहाँ नहीं दिया गया है। नीला डस्टबीन में सूखा कचरा (अजैविक) एवं हरा डस्टबीन में गिला कचरा (जैविक) रखने के लिए सारे नगर निकायों को प्रत्येक वार्ड में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना होगा।
    - 1.2 ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण हेतु घरों में दिये जाने वाले नीला एवं हरा डस्टबीन का क्रय GeM Portal के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
    - 1.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कचरे के पृथक्कीकरण संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए Door to Door Campaigning करवाया जा सकता है। इस कार्य हेतु स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं की सहायता ली जा सकती है। जिन नगर निकायों में अभी तक Household Dustbin का वितरण नहीं किया गया, उन नगर निकायों में Household Dustbin का वितरण को इन महिलाओं द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। SHG की महिलाओं की भूमिका एवं मानदेय हेतु Annexure-A संलग्न की गई है।
    - 1.4 Door to Door Campaigning हेतु नगर निगमों के एक वार्ड में दो-दो महिलाओं का दो (कुल चार SHG महिलाएँ) समूह एवं नगर परिषद एवं नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में दो महिलाओं का एक समूह को सम्मिलित किया जा सकता है।
  2. **घर-घर से पृथक्कीकृत कचरा का संग्रहण एवं परिवहन (Door to Door Collection & Transportation)**
    - 2.1 सभी नगर निकायों को पृथक्कीकृत ठोस अपशिष्ट को घर-घर से संग्रहण कर प्रसंस्करण हेतु विकेंद्रीकृत/केंद्रीकृत स्थल पर भेजना सुनिश्चित करना होगा।

- 2.2 सभी नगर निकायों को घर-घर से ठोस अपशिष्ट (जैविक एवं अजैविक) संग्रहण एवं परिवहन हेतु ट्राई-साइकिल/कंटनरीकृत हाथ गाड़ी/ऑटो-टीपर को जैविक एवं अजैविक ठोस अपशिष्ट की पहचान कर अलग-अलग संग्रहण करना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.3 घर-घर से ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु ट्राई-साइकिल/कंटनरीकृत हाथ गाड़ी/ऑटो-टीपर वार्ड की आबादी के अनुसार उपलब्ध कराना होगा।
- 2.4 पृथक्कीकृत कचरे का संग्रहण हेतु व्यवहार किये जाने वाले गाड़ियों यथा : ट्राई-साइकिल/कंटनरीकृत हाथ गाड़ी/ऑटो-टीपर आदि को गीला एवं सूखा कचरे का संग्रहण हेतु दो भागों में (Compartment) बांटना सुनिश्चित किया जाय।
- 2.5 सभी नगर निकायों को अपने वार्ड अंतर्गत बसे हुए घरों का आकलन करते हुए ठोस अपशिष्ट संग्रहणकर्ता, ट्राई-साइकिल/कंटनरीकृत हाथ गाड़ी की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.6 जहाँ ऑटो-टीपर की आवश्यकता है, वहाँ नगर निकाय को हर 1000-1500 घरों के लिए हर दिन ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु एक ऑटो-टीपर के साथ एक चालक एवं एक अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को रखना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.7 ठोस अपशिष्ट संग्रहण का कार्य प्रत्येक दिन सुबह 06:00 से 09:00 बजे तक सभी घरों में एवं सभी व्यवसायिक क्षेत्रों में 10:00 से 12:00 बजे तक करना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.8 सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्रान्तर्गत बसे हुए घरों का आकलन करते हुए ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिए आवश्यक गाड़ियों/उपकरणों में, जो कमी हो उसका मूल्यांकन कर GeM Portal के माध्यम से क्रय करना सुनिश्चित किया जाय।
- 2.9 सभी नगर निकाय घर-घर से पृथक्कीकृत कचरे का संग्रहण नियमानुसार Out Sourcing Agency/निकाय स्वयं/स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से कराया जा सकता है। जिन वार्डों में Outsourcing Agency अथवा निकाय स्वयं ठोस अपशिष्ट संग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ अविलंब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया जाये। NULM के तहत गठित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को इस कार्य में नियोजित किया जाये।
- 2.10 Long term में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से यह कार्य भी कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 2.11 सभी नगर निकायों को अपशिष्ट संग्रहण में लगे गाड़ियों की मार्ग-चिह्नित करना होगा। सभी सफाई कर्मचारियों की कार्य-सूची वार्ड के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित करना होगा।
- 2.12 सभी नगर निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा की सभी गाड़ियों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य (कितना अपशिष्ट संग्रह हुआ एवं कितना अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान के लिए गया) प्रतिदिन दैनिक-पंजी में भरा जा रहा है।
- 2.13 सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र में घर/व्यवसायिक स्थल/सड़क पर उपलब्ध ठोस अपशिष्ट को प्रतिदिन गाड़ियों द्वारा उठाकर प्रसंस्करण एवं निपटान कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ सभी नगर निकाय समयांतराल में आवश्यकतानुसार घर/व्यवसायिक स्थल/सड़क पर रखे गए Community Bins को हटा लेना सुनिश्चित करें ताकि शहर को Dustbin free बनाया जा सके।

## ANNEXURE-A

नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य की विवरणी :-

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं की सहभागिता	SHG में महिलाओं की संख्या
1.	Door to Door Campaigning	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कचरे का स्रोत पर पृथक्कीकरण (Segregation at Source) करने संबंधी प्रचार-प्रसार के लिए Door to Door Campaigning करवाया जाना है। इस कार्य हेतु स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को सम्मिलित किया जाय एवं इनके द्वारा सभी वार्डों के घर-घर में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जाकर Source पर ही कचरे को पृथक्कीकृत करने संबंधित जानकारी, जिसमें उपलब्ध कराये गये Household Dustbin हरे रंग में गीला कचरा एवं नीले रंग में सूखे कचरे रखने को कहा जायेगा।</li> <li>2. इनके द्वारा वार्ड के सभी लोगों को सूखा कचरा एवं गीले कचरे में अंतर संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी</li> <li>3. जिन नगर निकायों में अभी तक Household Dustbin का वितरण नहीं किया गया, उन नगर निकायों में Household Dustbin का वितरण भी इन्हीं स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं द्वारा करवाया जा सकता है।</li> <li>4. Door to Door Campaigning एवं प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री तैयार कर समय-समय पर सभी नगर निकायों को विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे SHG महिलाओं द्वारा उनके निर्धारित वार्ड में IEC हेतु प्रयोग किया जायेगा।</li> </ol>	नगर निगमों के एक वार्ड में दो-दो महिलाओं का दो समूहों (चार SHG महिलाएँ) एवं नगर परिषद एवं नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में दो महिलाओं का एक समूह को सम्मिलित किया जा सकता है।
2.	Door to Door Collection	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नगर निकाय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से घर-घर से कचरा संग्रहण का कार्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं।</li> <li>2. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को Tricycle के माध्यम से घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु नगर निकाय आवश्यकतानुसार उपयोग करेंगे।</li> <li>3. स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ घर-घर से गीला एवं सूखा कचरे को अलग-अलग संग्रहण एवं परिवहन कर प्रसंस्करण स्थल तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे।</li> </ol>	घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु नगर निकाय प्रति Tricycle पर दो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नियोजित कर सकते हैं।

### Capacity Building

उपरोक्त कार्यों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु SHG की महिलाओं का Training करवाया जाना आवश्यक है। संबंधित नगर निकायों में Training Programme का आयोजन कर SHG की महिलाओं को उपरोक्त कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जायगा। नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु चयनित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को पत्र निर्गत किया जायगा, जिसमें उनका दायित्व एवं उन्हें दी जाने वाली पारिश्रमिक का स्पष्ट उल्लेख होगा एवं इसकी निगरानी समय-समय पर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं भी करेंगे।

### पारिश्रमिक

उपरोक्त कार्य करने हेतु SHG की महिलाओं को पारिश्रमिक के रूप में प्रत्येक महिला 200 रु. प्रतिदिन की दर से दी जाये एवं इनका उपस्थिति संधारण नगर निकाय द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। इस राशि का भुगतान स्वच्छता अनुदान/14वीं वित्त आयोग/पंचम राज्य वित्त आयोग से दी जा सकती है।

# ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया प्रवाह-पत्र (Solid Waste Management Process Flow-sheet)

